न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज०

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का मसारी बनाम सत्यभानसिंह/भगवानसिंह जाट

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट

प्रकरण संख्या :- RA/15/2018 निर्णय दिनांक :- 24/01/2019

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मसारी की आराजी नं. 1231 कुल रकबा 0-73 किस्म जमीन गैरमु० में से 0.03 रकबे पर श्री सत्यभानसिंह S/o भगवान पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रास्ता पक्का मकान बनाकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का मसारी द्वारा दिनांक 4-6-18 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. दारौदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी सत्यभानसिंह/भगवान जाति JAT निवासी मसारी को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी अप्र० नहीं उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.नं. 1231 रकबा 0-73 में से 0-03 रकबे किस्म गैरमु० रास्ता है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल का अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 28 Paise का 50 गुणा 14/- (चौदह रु०) रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु डीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी मसारी भू.अ.निरी. दारौदा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

तहसीलदार
कठूमर (अलवर) राज०

प्रतिलिपि :- पृ. इ.

रा. मि. सं. 4 के पृष्ठ सं. 40 क्रम सं. 8
वर्ष 2018-19 पैनल्टी राशि रु 14/-
की कायमी कर दी गई

(हस्ताक्षर) 12/3/19

तहसील कार्यालय कठूमर